PARLIAMENT LIBRARY
DIGITIZED

LOK SABHA

Wednesday, June 7, 1889/Jyaistha 17, 1889 (Saka).

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[MR. SPEAKER *in the Chair*]

MEMBER SWORN

Shri Vikram Chand (Chamba).

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

शिक्षा संस्थाओं के साम्प्रदायिक नाम

*331. **श्री ओ० प्र० त्यागी :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की धर्म निरपेक्षता की नीति की दृष्टि से उनके मंत्रालय का विचार यह बात सुनिश्चित करने के लिये कार्यवाही करने का है कि जब तक शिक्षा संस्थाएं अपना साम्प्रदायिक नाम नहीं बदलती तब तक उन्हें सरकार से कोई अनुदान नहीं मिलेगा; और

(ख) क्या उनके मंत्रालय का विचार इस संबंध में राज्य सरकारों को आदेश जारी करने का है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद): (क) और (ख). जी, नहीं। केन्द्रीय या राज्य सरकारों द्वारा इस विषय में निर्धारित की जाने वाली कोई नीति संविधान के संगत अनुच्छेद के अनुकूल होगी।

श्री ओ० प्र० त्यागी : मैं आपके द्वारा यह कहना चाहूंगा कि जातीयता, प्रान्तीयता और साम्प्रदायिकता की भावना देश की प्रगति में बाधक है तथा सरकार बार बार इस बात की घोषणा भी करती है, परन्तु आचरण इस के सर्वथा विपरीत है। उत्तर प्रदेश ने इस संबंध में पग उठाये हैं। तो जो संस्थाये हमारे केन्द्र के अधीन हैं या जो क्षेत्र केन्द्र के अधीन हैं उन में हमारी सरकार इस प्रकार की संस्थाओं के ऊपर जो कि साम्प्रदायिकता या जातिवाद का प्रचार करती हैं किसी भी रूप में, उन के ऊपर प्रतिबंध लगाने को क्यों तैयार नहीं है कि जब तक उन को अनुदान नहीं दिया जायेगा जब तक वह जातिवाचक नाम रक्खेंगी ? हमारी प्रान्तीय सरकारें तो आचरण कर रही हैं लेकिन केन्द्रीय सरकार क्यों नहीं आचरण करती ?

श्री भागवत झा आजाद : मैं माननीय सदस्य का ध्यान संविधान के अनुच्छद 25 और 30 की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। पहली बात अनुच्छेद 25 में है कि "सब व्यक्तिओं को, अन्तःकरण की स्वतंत्रता का तथा धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान हक्क होगा।" दूसरी बात अनुच्छेद 30 में है कि "धर्म या भाषा पर आधारित सब अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुची की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा।" हम ने प्रयत्न किया लेकिन विधि की राय यह है कि हमारे संविधान में इन धाराओं के रहते हुए हम यह संशोधन नहीं कर सकते हैं।

श्री मधु लिमये : अध्यक्ष महोदय, मेरी व्यवस्था संबंधी आपत्ति है। यह मंत्री महोदय

सदन को गुमराह करना चाहते हैं। उन्होंने जो संविधान की धारायें बतलाई हैं उन का इससे कोई संबंध नहीं है। सम्प्रदाय के नाम रखने वाली संस्थाओं के ऊपर कानून से रोक लगाई जाय, यह सवाल यहां पर नहीं है। सवाल यह है कि जब हमारा राज्य धर्मनिरपेक्ष है तब किसी भी सम्प्रदाय या धर्म के नाम पर जो संस्थायें चलती हैं उन को सरकार अनुदान क्यों दे रही है। यहां पर इन धाराओं का कोई संबंध नहीं है। इस लिये इस प्रश्न का जबाब आना चाहिये।

Mr. Speaker: Let him put his second question; he will himself ask that.

श्री मधु लिमये : अध्यक्ष महोदय, आप व्यवस्था दीजिये। माननीय सदस्य का प्रश्न अनुदान देने के संबंध में है। हमारा राष्ट्र धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है अब आप बतलाइये कि संविधान की कौन सी धारा है जिस में इस प्रकार की रोक है। कोई रोक नहीं है। इस लिये वह गलतबयानी न करें। अगर वह करना नहीं चाहते हैं तो कहें कि हमारी हिम्मत नहीं है और हम करना नहीं चाहते, लेकिन सदन को गुमराह क्यों करते हैं?

श्री भागवत झा आजाद : गुमराह करना और गलतबयानी करना इन माननीय सदस्य का काम हो गया है, मेरा नहीं।

श्री मधु लिमये : आप का काम है। बनारस विश्वविद्यालय के विधेयक तक में किया गया था।

श्री भागवत झा आजाद : हिम्मत माननीय सदस्य की नहीं है। गुमराह वह कर रहे हैं, मैं नहीं करता हूं। इस लिये गुमराह करने की बात वह न करें। अध्यक्ष महोदय, संविधान के अनुच्छेद 30 में यह लिखा गया है कि:

> "शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी विद्यालय के विरुद्ध इस आधार पर विभेद नहीं करेगा कि वह धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंध में है।"

श्री मधु लिमये : मामला बिल्कुल साफ हो गया। यह संस्थाओं में विभेद करने के बारे में लिखा हुआ है...

श्री भागवत झा आजाद : हम किसी विश्वविद्यालय के नाम के सामने जो कुछ लिखा हुआ है उस को तब तक नहीं हटा सकते हैं, चाहे वह हिन्दू के नाम पर हो या मुसलिम के नाम पर अथवा क्रिश्चियन के नाम पर, जब तक संविधान की यह धारा मौजूद है। क्योंकि आप को याद होगा कि इसी संसद् में हिन्दू यूनिवर्सिटी बिल के संबंध में जो संशोधन आया था उस को न इस सदन ने माना था और न उस सदन ने। इस लिये मैं इस बात पर पुनः जोर देता हूं कि संविधान की धारा इसके रास्ते में आ जाती है।

श्री मधु लिमये : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, मैं, अध्यक्ष महोदय, आप से व्यवस्था चाहता हूं। व्यवस्था का जवाब मंत्री नहीं देंगे, आप देंगे। उन्होंने जो धारा पढ़ी वह विभेद के बारे में है। मान लीजिये कि हिन्दू संस्था को दिया जाता है और मुसलिम संस्था को इस की इजाजत नहीं दी जाती तो यह संविधान के खिलाफ है। माननीय सदस्य का सवाल था कि जिन के नाम में कोई सम्प्रदायवाचक शब्द है क्या आप उन संस्थाओं को अनुदान देना बन्द कर देंगे, उन्होंने विभेद अथवा डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं कही। इस लिये या तो मंत्री महोदय कानून मंत्री से सलाह मशवरा कर के बतलायें नहीं तो चुप बैठें। आप मेरे व्यवस्था के प्रश्न पर अपनी व्यवस्था दीजिये।

Mr. Speaker: What is the 'vyavastha' here? If the questioner is not satisfied with the answer, let him say to which aspect of the answer he wants clarification.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, आप इस प्रश्न पर आधे घंटे की चर्चा आने दीजिये कि संविधान बाधक है या नहीं । इस का निर्णय प्रश्नोत्तर काल में नहीं हो सकता । यहां इस पर चर्चा होनी चाहिये ।

Mr. Speaker: He can ask for it. Let the question go on. He can ask the second question now.

श्री मधु लिमये : मंत्री महोदय अपनी बात कह सकते हैं । संविधान कोई बाधा नहीं डाल रहा है ।

श्री ओ० प्र० त्यागी : जो हमारे फंडामेंटल सिद्धांत हैं उन की अवहेलना कोई भी भारतीय नागरिक नहीं कर सकता, और न सरकार ही इस बात को प्रोत्साहन दे सकती है । अभी माननीय मंत्री जी ने इशारा किया इन अनुच्छेदों की तरफ कि भारत सरकार इस प्रकार का प्रतिबन्ध लगा सकती है स्कूलों के ऊपर कि किसी भी स्कूल में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जायेगी क्योंकि सरकार का दृष्टिकोण है कि इससे साम्प्रदायिकता आयेगी अथवा विशेष धर्म का प्रचार होगा । जब सरकार इस प्रकार का आचरण कर सकती है तो जो साम्प्रदायिक नाम है उन पर वह प्रतिबन्ध क्यों नहीं लगा सकती ?

श्री भागवत झा आजाद : अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा और इस को दुबारा फिर कहता हूं हम इस पर प्रतिबन्ध नहीं लगा सकते हैं कि संविधान की धारायें हमारे रास्ते में आती हैं और माननीय सदस्य की राय है कि ऐसा नहीं है । हम ने इस संबंध में विधि विभाग से राय ली है । वह कहते हैं कि हम नहीं कर सकते हैं । इस के बाद हम क्या करें ? जो ला मिनिस्ट्री की राय के अनुसार ठीक हैं वह मानें या जो माननीय सदस्य कहते हैं वह मानें ?

श्री मधु लिमये : ला मिनिस्ट्री की राय क्या है ?

श्री भागवत झा आजाद : उन की राय है कि हम नहीं हटा सकते हैं ।

श्री रामसेवक यादव : राज्य सरकार ने भी राय ले कर ही यह निर्णय किया होगा । वह आप से ज्यादा अकलमन्द है ।

श्री भागवत झा आजाद : मैं केन्द्रीय सरकार की बात कर रहा हूं ।

Mr. Speaker: No, no. I will request the Minister not to answer that type of question.

Shri Anbazhagan: With due regard to the safeguard of minorities, both religious minorities as well as linguistic minorities, whenever other communal considerations are there in any institution or whenever the institutions are named after certain communities which do not come under the purview of religious or linguistic minorities, will the Government consider a proposal to discourage such institutions and discourage Government's benefit and grants to such institutions?

Shri Bhagwat Jha Azad: It is a hypothetical question. All that I can say is that in respect of such institutions where there are names starting with Hindu or Muslim or Christian or something of this type, we have been advised that we cannot stop grants to such institutions because Article 30(2) says that we cannot discriminate against any educational institution in giving grants to these institutions. We have already got the opinion of the Law Ministry. That is why we cannot do it.

Shri Anbazhagan: That is not my question. My question is this. With due regard to religious and linguistic minorities, will the Government come forward to discourage or prevent the other type of communal institutions or institutions named after communities?

Shri Bhagwat Jha Azad: I think it is the same question as before.

Shri Anbazhagan: I was referring to cases other than those of linguistic minorities. I do not know whether Government have taken a decision on such cases.

Shri Bhagwat Jha Azad: I am sorry I have not followed the import of the question. I thought that it was the same question as before.

Mr. Speaker: Could the hon. Member repeat his question?

Shri Anbazhagan: The principle expounded by Government is that Government may give grants to institutions of minorities, with religious or linguistic names. But about the other types of institutions which are named after communities or castes or sects, may I know whether Government will think of a programme to stop grants for such institutions?

Shri Sezhiyan: Shall I explain the position?

Mr. Speaker: I think the Leader of his Party has explained it sufficiently now.

Shri Bhagwat Jha Azad: It will depend upon the institutions which the hon. Member has in mind. All that I can say is that on the basis of names, we cannot discriminate. As regards the institutions to which the hon. Member has referred, we can examine each individual case and find out what can be done.

Shri S. S. Kothari: I think we should go over to the next question. There are other more important questions.

Mr. Speaker: But those who have sponsored this question think that it is important. So, I must allow at least four or five supplementary questions.

Shri S. S. Kothari: What is in a name?

Mr. Speaker: At least four or five supplementary questions must be allowed. Only two have been asked till now.

Shri Bedabrata Barua: Changing the name of a particular educational institution by the deletion of the word 'Hindu', 'Muslim' or 'Christian' is itself not an ideal, but the more important question is whether such attempts in the past had led to the reduction of the communal feelings or an increase of such feelings. May I also know whether such attempts, when they were made, were opposed or supported by the political parties, as, for instance, when the question came up in regard to the Aligarh and Banaras Universities?

Shri Bhagwat Jha Azad: As I have said already, there was such an attempt, and we had brought forward a Bill in this House as well as in the other House. The Bill was referred to a Joint Committee. When the Bill as reported by the Joint Committee was discussed in the Rajya Sabha, Rajya Sabha changed the name to Kashi Vishwavidyalaya. But even that was not accepted by the Lok Sabha. That is one instance where it was not agreed to. The second instance where it was not agreed to was in the case of the draft Delhi Secondary Education Bill, 1964. In the Bill as introduced before this House, we had said that we should not name a school after a sect or a caste. The Joint Committee on the Bill, however, accepted an official amendment to drop this provision as it was not considered constitutional These are two instances where things have been considered already by the House and not agreed to.

Shrimati Lakshmikanthamma: A distinction has been made between religious and communal institutions. In all the educational institutions, students are not supposed to mention the name of the community such as Khamma, Reddy etc. Similarly, what prevents the hon. Minister from abolishing or not recognising the names of institutions which are named in such manner as Khamma hostel, Red-

dy hostel and so on, and from stopping grants to such institutions?

Shri Tenneti Viswanatham: The hon. Minister was saying that he had obtained legal opinion. Could he place a copy of the same in the Table of the House?

Shri Bhagwat Jha Azad: Yes, we can.

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : अभी माननीय मंत्री जी ने संविधान की जिस धारा का उल्लेख किया है उसमें स्पष्ट रूप से भाषा और धर्म ये दो शब्द हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो निर्णय किया है वह किसी धर्म विशेष के आधार पर नहीं बल्कि जाति और उपजातियों के आधार पर जिन शिक्षण संस्थाओं के नाम हैं, किया है। मैं समझता हूं कि उस आधार पर शायद संविधान मार्ग में बाधक नहीं होता है। अगर बाधक होता तो उत्तर प्रदेश की सरकार इस प्रकार का निर्णय नहीं करती। मैं जानना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार के अधिकार क्षेत्र में जो इस प्रकार के विद्यालय हैं, जिन के साथ जाति और उपजाति वाचक नाम हैं, क्या उनके ऊपर किसी प्रकार का प्रतिबन्ध लगाने का आप विचार करेंगे?

श्री भागवत झा आजाद : अभी एक प्रश्न के जवाब में मैंने यह कहा है कि सिद्धान्ततः हमने जो सरकार का विचार है उसको प्रकट कर दिया है। लेकिन अगर इस तरह की कोई चीज हो और सिद्धान्तों के अनुकूल हो तो उस पर निश्चय ही विचार किया जा सकता है।

श्रीमती सावित्री श्याम: पिछले आम चुनावों में इन शिक्षण संस्थाओं ने काफी सक्रिय भाग लिया था और इस कारण से बहुत बड़े पैमाने पर तो नहीं लेकिन छोटे पैमाने पर कम्युनल डिसहार्मनी पैदा हुई थी, फैली थी अभी वह हो गया है कि संविधान हमारे रास्ते में बाधक है। मैं जानना चाहती हूं कि क्या सरकार ने विचार किया है कि संविधान में संशोधन किया जाये और नहीं किया है तो क्या सरकार विचार करेगी ताकि इस तरह के नामों को, इस तरह के नामक्लेचर्ज को समाप्त किया जा सके?

श्री भागवत झा आजाद : यह एक सुझाव है जो माननीय सदस्या दे रही हैं?

श्री राम सेवक यादव : अपने यहां जब कोई मरता है तो कहा जाता है "राम नाम सत्य है"। मैं समझता हूं कि इस देश में जातियां ही सत्य हैं, जातपात ही सत्य है। मैं जानना चाहता हूं कि विभिन्न सम्प्रदायों और जातियों के नाम पर जो शिक्षा संस्थायें चल रही हैं उसके कारण क्या यह सही नहीं है कि जातियों में आपस में घृणा, द्वेष और जातीयता का वातावरण पनपा है, यदि हां तो क्या इसका लेखा झोखा किया गया है कि वह किस हद तक बढ़ा है? यदि हां तो धर्म निरपेक्षता को जो हमने स्वीकार किया है और संविधान की मंशा के मुताबिक सरकार इन नामों को खत्म करने पर क्या विचार कर रही है?

श्री भागवत झा आजाद : मैंने इसका जवाब दे दिया है। उसी प्रश्न को माननीय सदस्य दूसरी भाषा में रख रहे हैं। अभी हमारे सामने जो कठिनाइयां हैं, उनका मैं उल्लेख कर चुका हूं। इस सदन में और राज्य सभा में जो बिल आये माननीय सदस्यों ने उनको स्वीकार नहीं किया। अब इस बारे में पबलिक ओपिनियन को तैयार करना होगा और वह हम सब को करना होगा।

Naga Activities in Tirap Division

+

*324. **Shri Bal Raj Madhok:**
Shri A. B. Vajpayee:
Shri R. S. Vidyarthi:

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the hostile Nagas are busy meeting tribesmen in Tirap Division of N.E.F.A. for armed rebellion against Government; and